भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1289
11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : झारखंड में सिंचाई प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सर्वेक्षण

1289. डॉ. निशिकान्त दुबेः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने झारखंड में सिंचाई प्रणाली से वंचित कृषि भूमि के प्रतिशत के संबंध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया है, क्योंकि धान राज्य की मुख्य फसल है और उसके लिए पर्याप्त जल व्यवस्था नहीं है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्षा पर निर्भरता किस प्रकार कम की जा सकती है; और
(ग) राज्य में मानसून आधारित खेती के कारण होने वाले नुकसान पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वार्षिक प्रकाशन, अर्थात् 'भूमि उपयोग सांख्यिकी एक नजर में, 2022-23' के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, झारखंड के कुल 1.23 मिलियन हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र में से 0.21 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सकल सिंचित क्षेत्र बताया गया है।

सरकार ने वर्षा आधारित जल पर निर्भरता कम करने, सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, सतत जल प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देने और वर्षा पर निर्भरता कम करने तथा अनियमित मानसून के प्रभावों को कम करने के लिए जलवायु-अनुकूल कृषि प्रणालियों को विकसित करने के लिए कई पहलों को कार्यान्वित किया है। प्रमुख उपायों में शामिल हैं:

I. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई): 2015 में शुरू की गई पीएमकेएसवाई का उद्देश्य सिंचाई कवरेज और जल-उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। यह हर खेत को सिंचाई प्रदान करने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और जल-उपयोग दक्षता में सुधार करने पर केंद्रित है। इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी जैसे घटक शामिल हैं जो सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की दिशा में काम करते हैं।

II. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई): आरकेवीवाई के अंतर्गत, राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे 5 से 10% धनराशि ऐसे हस्तक्षेपों के लिए आवंटित करें, जो कृषि पर असामान्य मानसून के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम कर सके। इसमें जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, नमी संरक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देना और सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करना शामिल है।

III. जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों को बढ़ावा देना: सरकार अनियमित मौसम पैटर्न का सामना करने के लिए जलवायु-अनुकूल बीज किस्मों का विकास और प्रचार कर रही है।

IV. जैविक खेती की पहल: परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) जैसे कार्यक्रम जैविक खेती के तरीकों को प्रोत्साहित करती है, जिसके लिए अक्सर कम पानी की आवश्यकता होती है और यह जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूल होते हैं। यह पहल किसानों को सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने में सहायता करती है।

V. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का पनधारा विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) देश में वर्षा आधारित और बंजर भूमि के विकास के लिए है। अन्य बातों के साथ-साथ की जाने वाली गतिविधियों में रिज क्षेत्र उपचार, जल निकासी लाइन उपचार, मृदा और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी उगाना, चारागाह विकास, संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका आदि शामिल हैं। इन हस्तक्षेपों के माध्यम से डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई में बेहतर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों के बेहतर अनुकूलन के माध्यम से सतत विकास सुनिश्चित किया जाता है। इन पहलों का सामूहिक उद्देश्य सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और वर्षा पर निर्भरता को कम करने और अनियमित मानसून के प्रभावों को कम करने के लिए सतत जल प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देना है।

(ग): प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर आवश्यक राहत उपाय उपलब्ध कराने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राहत उपाय करने के लिए राज्य सरकार के पास राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के रूप में धनराशि उपलब्ध होती है। गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं के लिए एसडीआरएफ के अलावा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जाता है और स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार राज्य सरकार से प्राप्त ज्ञापन के आधार पर इसे मंजूरी दी जाती है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) उन किसानों को एनडीआरएफ के तहत राहत प्रदान करता है, जिनकी फसल का नुकसान सूखा, ओलावृष्टि, कीट हमले और शीत लहर/ठंढ के कारण हुआ है।

इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, बैंकों को पुनर्गठित राशि पर पहले वर्ष के लिए ब्याज छूट का घटक उपलब्ध है और ऐसे पुनर्गठित ऋणों पर आरबीआई द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू होगी। एनडीआरएफ सहायता के अनुदान के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति (एससी-एनईसी) की रिपोर्ट के आधार पर गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए पुनर्गठित फसल ऋणों पर ब्याज छूट और शीघ्र चुकौती प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की प्रमुख योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) को किसानों की फसल की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद तक अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करने तथा फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। झारखंड ने खरीफ 2024 से पीएमएफबीवाई को कार्यान्वित किया है।

******